संलग्नक - (6)

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर।

सेवा में,

प्रवन्धक
ग्रीन लाईट पब्लिक जूनियर हाई स्कूल,अभिपुरा,ब्लाक–नजीबाबाद
जंनपद–बिजनौर।

पत्रांकःबेसिक / मान्यता / 1077-81 / 2012–13 दिनांक 15/5/12

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक सूच्य है कि आपके आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथपश्चात्‌वर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं **ग्रीन लाईट पब्लिक जूनियर हाई स्कूल**,अभिपुरा,ब्लाक–नजीबाबाद **(बिजनौर)** (विद्यालय का नाम–पते सहित) को तारीख 1–7–2011 से तारीख 30–6–2014 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा–06 से कक्षा–08 तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैः–

1 मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा–8 के पश्चात् मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।

2 विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम–,2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3 विद्यालय कक्षा–1 में (या यथास्थिति,नर्सरी कक्षा में),उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा- विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा,उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4 पैरा–3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियॉं प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5 सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता – पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6 विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगाः–

(1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को,विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक,किसी कक्षा में फेल नही किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा।

(2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

(3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी;

(4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा;

(5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा;

(6) अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है,परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक,जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नही है,पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगें;

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है, और

(8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापो में नियोजित नही करेगें।

7 विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।

8 विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और संनियमों को बनाए रखेगा।

स्थलीय निरीक्षण के समय दिखाई गई सुविधाएं निम्नवत् है :-

(1) विद्यालय भवन का क्षेत्रफल-
(2) कुल निर्मित क्षेत्र-
(3) क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल- क्रीड़ा स्थल उपलब्ध है।
(4) कक्षाओं की संख्या-05
(5) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय-सह भंडारगृह के लिए कक्ष-01
(6) बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय-उपलब्ध है।
(7) पेयजल सुविधा-उपलब्ध है।
(8) मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई-योजना लागू नहीं है।
(9) बाधा रहित पहुँच-है।
(10) अध्यापन अधिगम सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता-उपलब्ध है।

9. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जायेगा।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति,व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या ....21.... है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण,यदि कोई हो,को सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

ह0

([illegible])
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बिजनौर।

पत्रांक/बेसिक/ /2012-13 दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव,उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
2- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) मण्डल मुरादाबाद।
3- जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,जनपद-बिजनौर।
4- क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी जनपद-बिजनौर।

([illegible])
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बिजनौर।

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बिजनौर।

सेवा में,

प्रबंधक,
ग्रीन लाईट पब्लिक प्रा०स्कूल,अमीपुर,ब्लाक-नजीबाबाद
जनपद-बिजनौर।

पत्रांक/बेसिक/मान्यता/[illegible]/2007-08 दिनांक/[illegible]

विषयः- विद्यालय को प्राईमरी स्तर (कक्षा-1 से 5 तक)की नवीन अस्थायी मान्यता दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूच्य है कि आपके विद्यालय को प्राईमरी स्तर (कक्षा 1 से 5 तक) की नवीन अस्थायी मान्यता दिये जाने का प्रकरण जिला मान्यता समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को प्राईमरी स्तर(कक्षा-1 से 5 तक) की नवीन अस्थायी मान्यता शासनादेश संख्या 1837/15-98-18(एम)-7/98 दिनांक 10 सितम्बर,1998 में दिये गये निर्देशानुसार निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है:-

1-विद्यालय में अवैधानिक कक्षाओं जैसे के०जी०,नर्सरी,आदि का संचालन न किया जाय।
2-विभागीय आदेशों एवं बेसिक शिक्षा संहिता के अनुच्छेदों का पूर्णतः पालन किया जाय।
3-विद्यालय में आकस्मिक दुर्घटना से बचाव के संसाधन उपलब्ध होने आवश्यक है।
4-छात्रों से अवैधानिक शुल्क न लिया जाये अर्थात् निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क न लिया जाय।
5-विद्यालय में विभाग/उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम/पुस्तकें ही पढ़ाई जाय।
6-विद्यालय में शिक्षा हिन्दी माध्यम से ही दी जाय।
7-विद्यालय में अध्यापक/अध्यापिकायें प्रशिक्षित ही नियुक्त किये जायें। अप्रशिक्षित शिक्षकों के होते हुए विद्यालय को स्थायी मान्यता दिया जाना सम्भव न होगा।
8-विद्यालय में निर्धारित माप के पक्के कमरे उपलब्ध होने आवश्यक है।
9-यह विद्यालय किसी अन्य विद्यालय से सम्बद्ध नही होगा।
10-स्थायी मान्यता हेतु 5 वर्ष में आवेदन करना अनिवार्य होगा तथा स्थायी मान्यता हेतु निर्धारित सभी शर्तों को इस अवधि में पूरा करना आवश्यक होगा। स्थायी मान्यता हेतु विद्यालय का अपना निजी भवन होना, समस्त अध्यापक प्रशिक्षित होना एवं भवन में समस्त कमरे पक्के पूर्ण होना,अनिवार्य है।

यदि उक्त निर्देशों/विभागीय निर्देशों एवं इस कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों का आपके द्वारा पालन नहीं किया जाता है,तो प्रदत्त मान्यता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

भवदीय

(वरुण कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर।

पृ०सं०/बेसिक/ /2007-08 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
1--जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ावर्ग कल्याण अधिकारी,जनपद-बिजनौर।
2-संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी,जनपद-बिजनौर।

(वरुण कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी